प्रेस नोट–95 / 2026
दिनांक 13.02.2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा प्राइवेट सुरक्षा गार्ड/सुपरवाइजरों के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण संस्थानों को अनुज्ञप्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में जारी की गयी एसओपी

उत्तर प्रदेश में प्राइवेट सुरक्षा क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित, गुणवत्तापूर्ण एवं प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देशन तथा अपर पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) के मार्गदर्शन में पुलिस महानिरीक्षक (कानून-व्यवस्था) द्वारा प्राइवेट सुरक्षा गार्ड/सुपरवाइजरों के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण संस्थानों को मान्यता प्रदान किये जाने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) तैयार करायी गयी है। प्राइवेट सुरक्षा अभिकरणों के संचालन के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम-2005 (पसारा एक्ट) बनाया गया था, जिसके आधार पर उ0प्र0 सरकार द्वारा प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण नियमावली, 2009 बनायी गयी। उक्त नियमावली में वर्ष 2023 में संशोधन करते हुए नई नियमावली वर्तमान में लागू है।

वर्ष-2009 के शासनादेश द्वारा अपर पुलिस महानिदेशक, कानून-व्यवस्था, उ0प्र0 को पसारा का नियंत्रक प्राधिकारी नियुक्त किया गया है अब तक उत्तर प्रदेश राज्य में कुल 3097 लाइसेंस निर्गत किये जा चुके है। जिनके लाइसेंस धारको द्वारा अब तक अन्य राज्यों में स्थापित प्रशिक्षण केन्द्रों से प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण के गार्ड/सुपरवाइजरों को प्रशिक्षित कराये जाने की कार्यवाही की जाती रही है। वर्तमान में गार्डो को उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करने एवं प्राइवेट सुरक्षा के गार्ड/सुपरवाइजरों की गुणवत्ता बढाने हेतु उ0प्र0 राज्य में प्रशिक्षण संस्थान को लाईसेंस प्रदान किये जायेगें।

उक्त एस.ओ.पी. भारत सरकार द्वारा प्राइवेट सुरक्षा क्षेत्र के लिए जारी मानकों के पूर्ण अनुपालन में तैयार की गयी है। इसके अंतर्गत प्राइवेट सुरक्षा गार्ड/सुपरवाइजरों को प्रशिक्षित करने हेतु प्रशिक्षण संस्थानों को अनुज्ञप्ति प्रदान किये जाने की प्रक्रिया सुनिश्चित की गयी है। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रशिक्षण संस्थानों को अनुज्ञप्ति अपर पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था), उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदान की जायेगी।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में प्रशिक्षण संस्थानों को अनुज्ञप्ति प्रदान किये जाने एवं उनके संचालन के प्रारम्भ होने से प्राइवेट सुरक्षा क्षेत्र में निम्नलिखित सकारात्मक सुधार अपेक्षित हैं-

- अन्य प्रदेशों के अधिकृत प्रशिक्षण संस्थानों पर निर्भरता समाप्त होगी, जिससे प्राइवेट सुरक्षा अभिकरणों की आर्थिक लागत में कमी आने के साथ-साथ श्रम शक्ति की बचत होगी और उनके संचालन में सुविधा होगी।
- प्रदेश में प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना से रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी तथा जिन क्षेत्रों में ये संस्थान स्थापित होंगे, वहां आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी एवं जनसामान्य में सुरक्षा की भावना सुदृढ़ होगी।
- प्रशिक्षण संस्थानों पर प्रशासनिक नियंत्रण सुनिश्चित होने से भविष्य में उनके स्तर एवं गुणवत्ता में निरंतर सुधार किया जा सकेगा।
- उत्कृष्ट प्रशिक्षण प्राप्त दक्ष, अनुशासित एवं प्रशिक्षित प्राइवेट सुरक्षाकर्मी सुरक्षित एवं स्मार्ट सिटी की अवधारणा को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी/एस.ओ.पी. https://uppolice.gov.in/ (उदाहरण लिंक) पर अपलोड कर दी गयी है।

उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा की गयी यह पहल प्राइवेट सुरक्षा व्यवस्था को अधिक संगठित, उत्तरदायी एवं प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

प्रेस नोट–96/2026
दिनांक 13.02.2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>जनपद हापुड़/थाना पिलखुवा</u>

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **पुलिस कार्यवाही में 05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूटे गये 44 लाख 37 हजार रूपये नगद**
- **लूट के 02 लाख 94 हजार रूपये से क्रय किये गये 03 मोबाइल फोन**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 04 मोबाइल फोन**
- **घटना में प्रयुक्त 03 दो पहिया बरामद**

दिनांक 13.02.2026 को थाना पिलखुवा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सिखेडा बम्बा पुलिया के पास से पुलिस कार्यवाही में अभियुक्त 1–रईस घायल सहित अभियुक्त 2–दानिश 3–जुनैद 4–सरफराज 5–रौनक को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूटे गये 44 लाख 37 हजार रूपये नगद, लूट के 02 लाख 94 हजार रूपये से क्रय किये गये 03 मोबाइल फोन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 04 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त 03 दो पहिया बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 31.01.2026 को थाना पिलखुवा क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना पिलखुवा पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया आदि उक्त घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त रईस के विरूद्ध कमिश्नरेट गाजियाबाद व हापुड़ के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 04 अभियोग एवं अभियुक्त दानिश के विरूद्ध जनपद हापुड़, कमिश्नरेट गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना पिलखुवा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रईस निवासी चरण सिंह कॉलोनी सेक्टर–12 विजयनगर, मूलपता ग्राम तीर्थली थाना रबूपुरा कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

2–दानिश निवासी सहसवा बस्ती कस्बा व थाना मुरादनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद।

3–जुनैद निवासी त्रिलोकपुरी ब्लॉक 15 थाना कल्याणपुरी दिल्ली।

4–सरफराज निवासी तीर्थली थाना रबूपुरा कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

5–रौनक निवासी ग्राम खागोली थाना सिंभावली जनपद हापुड़।

बरामदगी

1–लूटे गये 44 लाख 37 हजार रूपये नगद।

2–लूट के 02 लाख 94 हजार रूपये से क्रय किये गये 03 मोबाइल फोन।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

4–घटना में प्रयुक्त 04 मोबाइल फोन।

5–घटना में प्रयुक्त 03 दो पहिया।

जनपद बुलन्दशहर/थाना छतारी

- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 51 हजार 500 रूपये नगद**
- **चोरी के पीली–सफेद धातु के टुकड़े**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 12.02.2026 को थाना छतारी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम नारायणपुर के पास से 05 अभियुक्तों 1–नितिन कुमार उर्फ मल्ला 2–गौरी शंकर 3–अनिल कुमार 4–कपिल कुमार उर्फ गब्बर 5–जितेन्द्र कुमार उर्फ जीतू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 51 हजार 500 रूपये नगद, चोरी के पीली–सफेद धातु के टुकड़े, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 28/29.01.2026 को थाना छतारी क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना छतारी पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना छतारी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–नितिन कुमार उर्फ मल्ला निवासी ग्राम चौडेरा थाना छतारी जनपद बुलंदशहर।

2–गौरी शंकर निवासी ग्राम चौडेरा थाना छतारी जनपद बुलंदशहर।

3–अनिल कुमार निवासी ग्राम चौडेरा थाना छतारी जनपद बुलंदशहर।

4–कपिल कुमार उर्फ गब्बर निवासी ग्राम चौडेरा थाना छतारी जनपद बुलंदशहर।

5–जितेन्द्र कुमार उर्फ जीतू निवासी ग्राम चौडेरा थाना छतारी जनपद बुलंदशहर।

बरामदगी

1–चोरी के 51 हजार 500 रूपये नगद।

2–चोरी के पीली–सफेद धातु के टुकड़े।

3–घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर–49

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 24 दो पहिया वाहन**
- **01 अवैध तमंचा 32 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 12.02.2026 को थाना सेक्टर–49 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बिजलीघर सेक्टर–50 के पास से 03 अभियुक्तों 1–विशाल उर्फ सलीम 2–दीपक 3–दिवाकर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 24 दो पहिया वाहन, 01 अवैध तमंचा 32 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त विशाल उर्फ सलीम के विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानो में

चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 13 अभियोग एवं अभियुक्त दीपक के विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानो में चोरी, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना सेक्टर–49 पर अभियोग पजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–विशाल उर्फ सलीम निवासी बन्धरा थाना विपुर जनपद अररिया बिहार, हालपता सलारपुर थाना सेक्टर–39 नोएडा।

2–दीपक निवासी लोमा कमरथू गाई घाट जनपद मुजफ्फरनगर बिहार, हालपता होशियारपुर थाना सेक्टर–49 नोएडा।

3–दिवाकर निवासी सलारपुर थाना सेक्टर–39 नोएडा।

बरामदगी

1–चोरी की 24 दो पहिया वाहन।

2–01 अवैध तमंचा 32 बोर मय जीवित कारतूस आदि।

- **जनपद बांदा/थाना को0नगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 18–18 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बांदा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बांदा द्वारा थाना को0नगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 364/302/34/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–पप्पू 2–सोनू 3–बाला प्रसाद को सश्रम आजीवन कारावास व 18–18 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद श्रावस्ती/थाना मल्हीपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद श्रावस्ती पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद श्रावस्ती द्वारा थाना मल्हीपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 6 पॉक्सो एक्ट व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त शेषराम को आजीवन कारावास व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बुलन्दशहर/थाना शिकारपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 70 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना शिकारपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/452 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त विनीत उर्फ विनेश को आजीवन कारावास व 70 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद श्रावस्ती/थाना गिलौला (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 35 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद श्रावस्ती पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद श्रावस्ती द्वारा थाना गिलौला पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376/452 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त छोटकऊ को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 35 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

————————